

3535

3363




सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL
Government of Jharkhand

e-Stamp

Certificate No. : IN-JH07198816648831P
 Certificate Issued Date : 19-Sep-2017 05:52 PM
 Account Reference : SHCIL (FI)/ jhshcil01/ DHANBAD/ JH-DB
 Unique Doc. Reference : SUBIN-JHJHSHCIL0110326992196595P
 Purchased by : ABHISHEK NAND
 Description of Document : Article 23 Conveyance
 Property Description : LAND
 Consideration Price (Rs.) : 3,75,000
 (Three Lakh Seventy Five Thousand only)
 First Party : KUMAR KRISHANA NAND
 Second Party : ABHISHEK NAND
 Stamp Duty Paid By : ABHISHEK NAND
 Stamp Duty Amount(Rs.) : 15,000
 (Fifteen Thousand only)



Please write or type below this line

निम्नानुसार 21 के अधीन और छोटानमक
 के सकारणी एक्ट की धारा 46N के अधीन
 जाँच योग्य है और इण्डियन स्टाम्प एक्ट 1899
 की अनुसूची 1 का 1 क. 83 के अधीन
 बंधावत स्टाम्प लगाया गया है। अथवा टिकट
 नथी से विमुक्त है या स्टाम्प - शुल्क अपेक्षित
 नहीं है।

ता० १२/०९/१७

निबधन/परीत्रिकारी

१२/०९/१७

Kumar Krishana NAND

22.9.17

दस्तावेज जाँच किया.....

फार्म 4 जाँच किया.....

UP 0000544399

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp Certificate should be verified at "www.shcilestamp.com". Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

Area side in north side 35000) 1.15000

अचल अधिकारी गोविन्दपुर से प्राप्त सूची के अनुसार दस्तावेज में वर्णित मौजा. करमाटॉड नम्बर 175 के खाता नं० 02 (दो) अतिरिक्त खाते से बाहर है/सूची-बाहर नहीं है।

तपशील वर्णित जमीन का मूल्य मार्ग दर्शिका पंजी के अनुसार न्यूनतम मूल्य से कम नहीं है।

23/9/17

11850 = w
x = 50
1 = 0V
11853 = 1 V

Kumar Krishna Hand
22.9.17



प्राप्त करमाटॉड नं० 175-व नं० 23/9/17
व्यवसाय, सा०- करमाटॉड, थाना- गोविन्दपुर, जिला- धनबाद, झारखण्ड (भारतीय) :-
विक्रय पत्र (केवाला दस्तावेज) :-

विक्रेता:- श्री कुमार कृष्णा नन्द, पिता स्व० मिखारी राव, जाति- क्षत्रिय, पेशा- व्यवसाय, सा०- करमाटॉड, थाना- गोविन्दपुर, जिला- धनबाद, झारखण्ड (भारतीय)।

क्रेता:- श्री अभिषेक नन्द, पिता श्री कुमार कृष्णा नन्द, जाति- क्षत्रिय, पेशा- व्यवसाय, सा०- करमाटॉड, थाना- गोविन्दपुर, जिला- धनबाद, झारखण्ड। होल सा०- एस. आर. एस. कॉम्प्लेक्स फर्स्ट ए. मैग, मिनाक्षी, ले आउट सिदेदाहली, बेंगलुरु कर्नाटक, (भारतीय)।

लेख्य प्रकार:- विक्रय पत्र (केवाला दस्तावेज)।

मूल्य- 3,75,000/- (तीन लाख पचहत्तर हजार) रुपये मात्र।

विवरण जायदाद:- जिला सदर निबंधन कार्यालय धनबाद सब निबंधन कार्यालय गोविन्दपुर, थाना एवं अंचल गोविन्दपुर अन्तर्गत "करमाटॉड" मौजे में मेरे ख़ास दख़ल की रैयती स्वत्व की निज हिस्से की जमीन। मौजा नं० 175, खाता नं० 02 (दो), (नया खाता नं०- 251) प्लोट नं० 58 (अंठावन), (नया प्लोट नं०- 77) रकबा 17 डिसमिल में से 09 डिसमिल (नौ डिसमिल) जमीन इस दस्तावेज के द्वारा क्रेता को विक्री किया। जो आवासीय जमीन है।


जिसका चौहद्दी:-

उत्तर :- इसी प्लोट का अंश,
पूरब :- गोविन्दपुर-बलियापुर रोड,

दक्षिण :- कुमार राजेश नन्द
पश्चिम :- इसी प्लोट का अंश

विक्री जमीन का नक्शा इस दस्तावेज में नक्की किया गया है, जो लाल रंग से दर्शाया गया है।

दिनांक 23/9/17 को 1571.00 बज पूवाहन/अपराहन में जिला अवर निबंधक
 कार्यालय गोविन्दपुर में लेखाकारी दावेदार या अवर निबंधक _____
 द्वारा प्रमाणित/मुस्तारनामा _____ संख्या _____ 20 _____ के अधीन
 लेखाकारियों या दावेदारों में से एक श्री कुमार सुधीर नन्द
 पिता/पति का नाम श्री श्री 14/9/17
 ग्राम कामापुर जिला राज
 जाति सिन्धिया पेशे से निबंधक के लिए पेश किया।
 पदाधिकारी का हस्ताक्षर 23/9/17 उपस्थापक का हस्ताक्षर



Kumar Krishana Nand
 23.9.17



उपरोक्त लिखे गये जमीन धनबाद निबंधन कार्यालय से निबंधित दिनांक 02.12.1964 ई० के 15389 नं० केवाला दस्तावेज द्वारा बदरुद्दीन मियाँ से एवं दिनांक 19.02.1966 ई० के 2215 नं० केवाला दस्तावेज द्वारा बदरुद्दीन मियाँ से मेरे परदादा राम प्रसाद राव के नाम से खरीदी गई जमीन है जिसका लगान जमावन्दी सं० क्रमशः 294 एवं 337 में निर्गत होता है। उनके देहान्त के बाद मैं वारिसान सुत्र से प्राप्त कर आपसी बंटननामा के तहत निर्विवाद रूप से खास दखल में भोग दखल करते हुए सम्पूर्ण निर्दाय एवं निर्दोष हालत में अपना निजांश जमीन क्रेता को बिक्री किया। एवं नया खतियान बिक्रेता के परदादा राम प्रसाद राव के नाम से दर्ज हुआ है। एवं पंजी 11 में भाग सं० 01 एवं पृष्ठ सं० 249 में दर्ज हुआ है।

मालिक जमीन्दार झारखण्ड सरकार, मो० पो० धनबाद,
अंचल कार्यालय गोबिन्दपुर,
सालाना मालगुजारी - 50 पैसा मात्र।

उक्त जमीन सरकार द्वारा अधिग्रहित नहीं है, जैसे गैर मजरूआ भुदान वन विभाग तथा आदिवासी खाता का नहीं है। एवं बिक्रेता सी० एन० टी० एक्ट 1908 की धारा 46 (6) में वर्णित जाति-जनजाति वर्ग से संबंधित नहीं है तथा यह दस्तावेज में अंकित कथा से बिक्रेता एवं क्रेता दोनों संतुष्ट एवं सहमत है।

चूंकि मकान बनाने एवं अन्य खर्च हेतु रुपये के अत्यन्त आवश्यकता आ पड़ी है, इसलिए उपरोक्त लिखे गए जमीन को बिक्री किये बिना रुपये का बन्दोबस्त होने का भिन्न कोई उपाय नहीं है, इसलिए क्रेता से आग्रह करने पर बिबरण में दिए गए जमीन खरीदने के लिए राजी हुए जो बैंक ऑफ बड़ौदा के बैंक नं० 003494 के द्वारा 1,75,000/-रु० एवं नगद 2,00,000/-रु० कुल उक्त जमीन का समयोचित सर्वोच्च मुल्य 3,75,000/- रुपये मात्र प्राप्त कर उपर वर्णित 09 डिसमिल जमीन क्रेता के नाम से बिक्री किये।

उपरोक्त लिखे गए जमीन पर मेरा जी कुछ हक अधिकार, दखल कब्जा, स्वत्व स्वामित्व आदि था, आज की तारीख से लोप होकर क्रेता के हक अधिकार दखल कब्जा में हुआ।

क्रेता बिक्री सम्पत्ति को आज की तारीख से दान, बिक्रय आदि द्वारा हस्तान्तरित करने की पुर्ण स्वामी व अधिकार बनकर व निर्विघ्न व निर्विवाद भोग दखल करते रहेंगे, इसमें मैं या मेरा कोई वारिसान अथवा उत्तराधिकारी किसी भी प्रकार का दाबी नहीं कर सकेंगे, किसी प्रकार का हस्तक्षेप अथवा दावी करेंगे तो वह कानूनन अवैध घोषित होगा।

बिक्री किये गये सम्पत्ति का नामान्तरण क्रेता अपने नाम से कराकर सालाना मालगुजारी मय शेष मालिक जमीन्दार झारखण्ड सरकार को अदाय देकर अपने नाम से रसीद हासिल कर लिया करेंगे।

प्रकाश रहे कि बिक्री सम्पत्ति इसके पूर्व किसी अन्य व्यक्ति के नाम से किसी प्रकार का हस्तान्तरित नहीं है, फिर भी भविष्य में विपरीत सिद्ध हो और उससे किसी प्रकार का हस्तक्षेप या अड़चन पैदा हो और उससे क्रेता को किसी प्रकार का क्षति तथा नुकसान हो तो बिक्रेता सारे क्षति पुर्ति के देनदार होंगे।

अतएव बिक्रेता अपनी खुशी से स्वस्थ शरीर, सरल मन शान्तचित व स्थिर मस्तिष्क में रहकर यह बिक्रय पत्र (केवाला दस्तावेज) क्रेता के हक में लिख कर सम्पादन कर दिया कि समय पर काम आवें। ईति तारीख:- 22.9.17

:- क्रेता का छायाचित्र :-



Abhishek Nand

22.9.17

मैंने दस्तावेज का प्रारूप बनाया एवं दोनों पक्षों को पढ़कर सुनाया एवं समझा दिया है। प्रमाणित किया जाता है कि बिक्रेता एवं क्रेता का छायाचित्र दस्तावेज में लगा है एवं उनलोगों के बाँये हाँथ के अंगुलियों के निशान मेरे सामने लिये गये हैं।

मो. हनीफ
L.N. 1/1984

:- गवाहगण :-

1. वैष्णव केशव
पिता (मो. आकुरुशंकर)
मो. वलीश गौरीशंकर
22.9.17 Enna
2. Sweta Sneha
D/O :- Kumar Krishna
Nand.
Karmaland, Gobindpur
Dhanbad. 22.9.17

DDOR- SRI KUMAR KRISHANA NAND S/O LATE
BHIKHARI RAD. OF. KARMATAND, P.S. GOBINDPUR
DIST- DHANBAD.


VENDEE- SRI ABHISHEK NAND S/O SRI ^{KUMAR} KRISHANA NAND
OF. KARMATAND, P.S. GOBINDPUR, DIST- DHANBAD.

SCHEDULE- DIST- DHANBAD, P.S. GOBINDPUR MOUZA-
KARMATAND MOUZA NO- 175 KHATA NO- 02
NEW KHATA- NO- 251 PLOT NO- 58 NEW PLOT
NO- 77 AREA- 17 DEC. OUT OF WHICH- 9.00 DEC


PLAN SHOWN THE LAND IN RED COLOUR- ■

BOUNDARY

- N- PART OF THIS PLOT
- S- KUMAR RAJESH NAND
- E- GOBINDPUR- BALIAPUR- ROAD
- W- PART OF THIS PLOT



NOT TO SCALE




Kumar Krishana Nand
22-9-17

Witnessed by
Suman

3908 Price & de h value so, value of 2000

3720



झारखण्ड JHARKHAND

A 897632

निबन्धन निराम 21 को अधीन और छाटाना...

तपशील वर्णित जमीन का मूल्य मार्ग सरिफा पंजी के अनुसार न्यूनतम मूल्य से कम नहीं है !


जो वास्तव है और इच्छित स्थापन एक्ट 18 की अनुसूची 1 वा 1 क. के अ. यथावत स्थापन किया है। अथवा नथी से विमुक्त है यह स्थापन - शुल्क निर्धारित नहीं है।

दस्तावेज जाँच किया...
फार्म 4 जाँच किया...

ता 3/11/17 निबन्धन प्रदायिका...

अवल अधिकारी को प्रदान सूची के अनुसार दस्तावेज में वर्णित मीजा करमाटास नम्बर 175 के खाता नं 00 के खाते से बाहर है/सूची बाहर नहीं है

Kumar Krishana Kund
2.11.17



3/11/17

Free
AP 1500=00
SA 2=50
Poo 0=00
1503=00

बिक्रेता :- श्री कुमार कृष्णा नन्द, पिता स्व0 भिखारी राव, जाति- क्षत्रिय, पेशा- व्यवसाय, सा0- करमाटाँड़, थाना- गोविन्दपुर, जिला- धनबाद, झारखण्ड, (भारतीय)।

क्रेता :- श्री अभिषेक नन्द, पिता श्री कुमार कृष्णा नन्द, जाति- क्षत्रिय, पेशा- व्यवसाय, सा0- करमाटाँड़, थाना- गोविन्दपुर, जिला- धनबाद, झारखण्ड, (भारतीय)।

Payment is done of Rs. 1953.00

:- बिक्रय पत्र (केवाला दस्तावेज):-

दस्तावेज 3/11/17 को जारी किया गया मूल्य- 50,000/- (पचास हजार रुपये) मात्र।

मालिक जमीन्दार झारखण्ड सरकार, मो0 पो0 धनबाद, अंवल कार्यालय गोविन्दपुर सालाना मालगुजारी- 10 पैसा मात्र।

कोषागार प्रदाधिकारी
धनबाद

No. 2255 Date 1-11-17
Name... Kumar Krishan Vard
At...
P.S. ...
Value of Stamp ...
Through ...
Part of Stamp ...

certified that a single stamp value of
is 200/- required for this document
is not available and the smallest number of
stamp which I can furnish so as to make
up the required amount is 33 follows
Rs 100/- 200/- 200/- 200/-

Chandan Kumar Lala
S.V. Dhanbad, No. 192-85

3/11/17 50 का 100/-

शेरा न निबन्धन के लिए भेज किया जाते हैं धनबाद
कारोबार



याम 31/11/17 जिला नरस
जोषि 31/11/17

प्रदाधिकारी का हस्ताक्षर 31/11/17
उपस्थापक का हस्ताक्षर

Kumar Krishan Vard
2.11.17
3.11.17





झारखण्ड JHARKHAND

A 897633

-2-

Kumari Krishna
Jharkhand
2.11.17

विवरण जायदाद :- जिला सदर निबंधन कार्यालय धनबाद सब निबंधन कार्यालय गोविन्दपुर, थाना एवं अंचल 'गोविन्दपुर अन्तर्गत "करमाटौंड" गौजे में मेरे खास दखल की रेयती स्वत्व की निज हिस्से की जमीन। मौजा नं० 175, खाता नं० 02 (दो), नया खाता नं०- 251, प्लोट नं० 58 (अंठावन), नया प्लोट नं०- 77 रकबा- 17 डिसमिल में से 0.96 डिसमिल (शुन्य दशमलव नौ छः डिसमिल) जमीन इस केवाला दस्तावेज के द्वारा बिक्री किये। जो आवासीय भूमि है। बिक्री जमीन का नक्शा इस दस्तावेज में नक्की किया गया है जो लाल रंग से दर्शाया गया है।

जिसकी चौहद्दी:-

उत्तर :- इसी प्लोट का अंश, दक्षिण :- क्रेता का नीज,
पूरब :- गोविन्दपुर-बलियापुर रोड पश्चिम :- क्रेता का नीज।

उपरोक्त लिखे गये जमीन धनबाद निबंधन कार्यालय से निबंधित 02.12.1964 ई० के 15389 नं० केवाला दस्तावेज द्वारा बदरुद्दीन मियाँ से एवं दिनांक 19.02.1966 ई० के 2215 नं० केवाला दस्तावेज द्वारा बदरुद्दीन मियाँ से मेरे परदादा राम प्रसाद राव के नाम से खरीदी गई जमीन है, जिसका लगान जगाबन्दी संख्या- क्रमशः 294 एवं 337 में निर्गत होता है। उनके देहान्त के बाद मैं वारिसान सुत्र से प्राप्त कर आपसी बँटननामा के तहत निर्विवाद रूप से खास दखल में भोग दखल करते हुए सम्पूर्ण निर्दाय एवं निर्दोष हालत में अपना निजांश जमीन क्रेता को बिक्री किया, एवं नया खतियान बिक्रेता के परदादा राम प्रसाद राव के नाम से दर्ज हुआ है। एवं पंजी 2 में भाग संख्या- 01, पृष्ठ संख्या- 249 में दर्ज हुआ है।

Kumar Krishana Nand

2.11.17

-3-

उक्त जमीन सरकार द्वारा अधिग्रहित नहीं है, जैसे गैर मजरूआ भुदान वन विभाग तथा आदिवासी खाता का नहीं है। एवं बिक्रेता सी० एन० टी० एक्ट 1908 की धारा 46, (6) में वर्णित जाति-जनजाति वर्ग से संबंधित नहीं है तथा यह दस्तावेज में अंकित कथा से बिक्रेता एवं क्रेता दोनों संतुष्ट एवं सहमत है।

चूंकि मकान बनाने एवं अन्य खर्च हेतु रुपये की अत्यन्त आवश्यकता आ पड़ी है, इसलिए उपरोक्त लिखे गये जमीन को बिक्री किये बिना रुपये का बन्दोबस्त होने का भिन्न कोई उपाय नहीं है, इसलिए क्रेता से प्रार्थना करने पर बिबरण में दिए गए जमीन खरीदने के लिए राजी हुए जो उक्त जमीन का समयोचित सर्वोच्च कुल मुल्य 50,000/- रुपये मात्र प्राप्त कर उपर वर्णित 0.96 डिसमिल जमीन क्रेता के नाम से बिक्री किये।

उपरोक्त लिखे गये जमीन पर मेरा जो कुछ हक अधिकार, दखल कब्जा, स्वत्व स्वामित्व आदि था, आज की तारीख से लोप होकर क्रेता के हक अधिकार दखल कब्जा में हुआ।

क्रेता बिक्री सम्पत्ति को आज की तारीख से दान, बिक्रय आदि द्वारा हस्तान्तरित करने की पुर्ण स्वामी व अधिकार बनकर निर्विघ्न व निर्विवाद भोग दखल करते रहेंगे तथा गृह निर्माण आदि कर स्वयं बसवास करते हुए भोग दखल करते रहेंगे, इसमें मैं या मेरा कोई भी वारिसान अथवा उत्तराधिकारी किसी भी प्रकार का दाबी नहीं कर सकेंगे, किसी प्रकार का हस्तक्षेप अथवा दावी करेंगे तो वह कानूनन अवैध घोषित होगा।

बिक्री किये गये सम्पत्ति का नामान्तरण क्रेता अपने नाम से कराकर सालाना मालगुजारी मय शेष मालिक जमीन झारखण्ड सरकार को देकर अपने नाम से हासिल कर लिया करेंगे।

प्रकाश रहे कि बिक्री सम्पत्ति इसके पुर्व किसी अन्य व्यक्ति के नाम किसी प्रकार का हस्तान्तरित नहीं है, फिर भी भविष्य में विपरीत सिद्ध हो और उससे किसी प्रकार का हस्तक्षेप या अड़चन पैदा हो और उससे क्रेता को किसी प्रकार का क्षति तथा नुकसान हो तो बिक्रेता सारे क्षति पुर्ति के देनदार होंगे।

अतएव बिक्रेता अपनी खुशी से स्वस्थ शरीर सरल मन शान्तचित व स्थिर मस्तिष्क में रहकर यह बिक्रय पत्र (केवाला दस्तावेज) क्रेता के हक में लिख कर सम्पादन कर दिया कि समय पर काम आवें। ईति तारीख :- 2.11.2017

kumar krishna Nand

2.11.17

.. 4 ..

क्रेता का छायाचित्र



Attested
Abhishek-Nand
2.11.17



मैंने दस्तावेज का प्रारूप बनाया एवं दोनों पक्षों को पढ़कर सुनाया एवं समझा दिया। प्रमाणित किया जाता है कि विक्रेतागण एवं क्रेता के जो छायाचित्र इस दस्तावेज में लगे हुए हैं, के बाँये हाथ के अंगुलियों के निशान मेरे सामने लिये गये हैं।

सो. हनीफ
L.N. 1/1984

:- गवाहगण का हस्ताक्षर :-

(1) [Signature]
बिला हट मी० शाकुण कंठ
लाकिन महलीपुरा
शाविन्दपुरा धरमपुरा
2.11.17

(2) Sweets
Sneha
3/11/17

D/O. Kumar Krishna Nand,
Gobindpur, Dhanbad.



R- SRI KUMAR KRISHANA NAND S/O LATE BHIKHARI
RAO. OF. KARMATAND P.S. GOBINDPUR DIST.
DHANBAD.

VENDEE- SRI ABHISHEK NAND S/O SRI KUMAR
KRISHANA NAND OF. KARMATAND P.S. -
GOBINDPUR DIST - DHANBAD. A/P. S.R.S. COMPLEX
FIRST A MAIN MEENAKSHI LAYOUT SIDEDAHALI BENGALURU

SCHEDULE- DIST - DHANBAD, P.S. GOBINDPUR, MOUZA -
KARMATAND MOUZA NO. 175 KHATA NO. 02
NEW KHATA NO. 251 PLOT NO. 58 NEW PLOT
NO. 77 AREA - 0.96 DEC.

PLAN SHOWN THE LAND IN RED COLOUR. ■
BOUNDARY

N. PART OF THIS PLOT
S. VENDEE N12
E. GOV. BALIAPUR ROAD
W. VENDEE N12



Kumar Krishana Nand
2.11.17

Accepted
By